



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

e_mail :- pwdtharali@gmail.com

पत्रांक 795/36c
सेवा में,

दिनांक 31/05/2024

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली में ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.981 हे० वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक सं० 602/36सी० दिनांक 24.03.2023।
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में शासन द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपत शर्तों एवं धनराशि के जमा किये जाने की सूचना सहित बिन्दुवार अनुपाल आख्या पूर्व में प्रेषित की गई थी। पुनः अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित है-

क्रम सं०	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पडे स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि(वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।	दिनांक 05.01.2022 को आर०टी०जी०एस० के माध्यम से रू० 995877.00 की धनराशि जमा करा ली गई है। संलग्न 1 चालान)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन(सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं० 556 एवं भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	दिनांक 05.01.2022 को आर०टी०जी०एस० के माध्यम से रू० 995877.00 की धनराशि जमा करा ली गई है। संलग्न 1 चालान)
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	एन०पी०वी० धनराशि में यदि बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि जमा करा दी जायेगी।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं० एस०बी०-25229 कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली 110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या(जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण	प्रयोक्ता एजेसी को शर्तें मान्य हैं।

	अर्थात् एन0पी0वी0 क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेसी को शर्तें मान्य हैं।
6	प्रयोक्ता एजेसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों का उपलब्ध कराया जाना होगा।	एफ0आर0ए0 संलग्न हैं।
7	प्रयोक्ता एजेसी के द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्तें का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रयोक्ता एजेसी को शर्तें मान्य हैं।
8	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	मान्य हैं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार 3-3 प्रति

अधिशायी अभियन्ता
नि0ख0 लो0नि0वि0
थराली चमोली

पत्रांक /36 सी0

दिनांकित / /

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

अधिशायी अभियन्ता
नि0ख0लो0नि0वि0
थराली चमोली।

FORM-II

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector, Chamoli

No---

Dated---20-03-2019

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.981 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department for Construction of Gwaldam to Center School Motor Road. in Chamoli district falls within jurisdiction of Gwaldam State village (s) in Tharali tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.981 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexuretoannexure....
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
चमोली

जिला प्रमाण कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रभागीय कक्षाधिकारी
बदीनाथ दत्त प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

Attachement 1.6 (A)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
District Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate on dated 20.03.2019 at time ...16.00 hrs...at Chamoli in which application claiming rights in Gwaldam State area measuring 0.981 hect for the Construction of Gwaldam to Center School Motor Road. forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Tharali sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.


Place;.....

Dated:.....

(IAS Swati S. Bhadoriya)
(District Magistrate Chamoli)

निजा अधिकारी
चमोली


निजा अधिकारी
चमोली


प्रभागीय कर्नाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रमाण गोपेश्वर
(चमोली)

Attachement 1.6 (B)

परियोजना का नाम :- ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.981 हे० सिविल, कुल 0.981 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थराली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, थराली

उपखण्ड थराली परिक्षेत्र के अन्तर्गत 0.981 हे० (हे० आरक्षित

वन भूमि, 0.981 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.981 हे०

वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति

और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थराली) की दिनांक 05-03-19 को सम्पन्न बैठक

की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक

श्री परमजित नन्द राय, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन

अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति

निम्नानुसार है।

1- श्री परमजित नन्द राय उपजिलाधिकारी थराली अध्यक्ष

2- श्री अनिल कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य

3- श्री विजय राय सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य / सचिव

4- श्री सीमली कलावती देवी बी०डी०सी० क्षेत्र ग्वालदम सदस्य

5- श्री हरे-द सिद्ध विठ्ठल बी०डी०सी० क्षेत्र डांगलेली सदस्य

6- श्री बी०डी०सी० क्षेत्र सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप

जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत

कराया गया कि ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के परियोजना हेतु 0.981 हे० वन

भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के

समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि


का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु

प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।


विजोद कुमार
रजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र
तहसील
जिला चमोली


संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्डथराली.....परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.981 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – थराली
जनपद – चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विनोद कुमार
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र - 5
तहसील
जिला चमोली


उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – थराली
जनपद – चमोली

Attachement 1.6 (C)

परियोजना का नाम :- ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.981 हे० सिविल, कुल 0.981 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ग्वालदम

तहसील - थराली, जनपद - चमोली


अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग हेतु (0.981 हे० सिविल, भूमि) अर्थात् कुल 0.981 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ग्वालदम द्वारा दिनांक 07-

12-2-19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ग्वालदम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित



Attachement 1.6 (D)

दिनांक 02-12-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत उनालदा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	महेन सिंह बडिथारी	महेन सिंह
2-	गंगा देवी	गंगा देवी
3-	पुष्पा देवी	Pushpa
4-	पान सिंह बडिथारी	पान सिंह
5-	दयाल सिंह बडिथारी	Dayal Singh
6-	सुरेन्द्र सिंह बडिथारी	Surender
7-	इन्द्र सिंह बडिथारी	Indra
8-	दीप सिंह बडिथारी	Deep
9-	चन्द्र सिंह बडिथारी	Chandra
10-	हरक सिंह बडिथारी	Harak
11-	धनुली देवी	
12-	केया (सिंह नेगी)	
13-	भावती प्रसाद	Bhavati
14-	रघुवीर सिंह शाह	
15-	दयाल (म)	Dayal

ह0/-

ग्राम प्रधान



एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र


परियोजना का नाम : ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.981 हे० सिविल, कुल 0.981 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।


अमान
नि० ख० लो० नि० वि०
थराली (चमोली)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली (चमोली)




अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली, (चमोली)

उत्तरांचल नैतिक विभाग

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 05-01-2022

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6139862148
MoEF/SG File No.	1(150)/2020
Location.	UTTARANCHAL
Address.	TharaliChamoli
Amount(in Rs)	995877/-

Amount in Words Nine Lakh Ninety-Five Thousand Eight Hundred and Seventy-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896139862148 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies ma
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through ch
even after 7 working days, then kindly mail a copy of
Email: cb0371@unionbankofindia.com

सहायक अभियंता
निर्माण खाण्ड, सी.ओ. सि. वि. वि.
बनारस (उत्तरांचल)

05/01/22
सहायक अभियंता
निर्माण खाण्ड, सी.ओ. सि. वि. वि.
बनारस (उत्तरांचल)